ग्राम पंचायत भोल खास, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भोल खास, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सृष्टा देवी	1.4.13 से 22.1.16
2	श्री कर्मचन्द	23.1.16 से 31.3.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री अवतार सिंह	1.4.13 से 27.8.15
2	श्री तिलक राम	26.9.15 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत भोल खास के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	10	सभा निधि से अधिक भुगतान बारे	0.05
2	11	अनुदान का उपयोग न करना	6.70
3	12	औपचारिकताओं के पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	1.10
4	14	क्रय की गई सामग्री का भण्डारण रजिस्टर में इन्द्राज न करना	1.10

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत भोल खास, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरबीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 21.2.2017 से 28.2.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 9/13, 1/15 व 2/16 तथा 12/13, 12/14 व 10/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत भोल खास, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 242 A दिनांक 28.2.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भोल खास से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत भोल खास द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत भोल खास के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	11288	24975	36263	9276	26987
2014–15	26987	43634	70621	27187	43434
2015–16	43434	47967	91401	20085	71316

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत भोल खास के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	143734	833027	976761	773335	203426
2014–15	203426	1247824	1451250	974553	476697
2015–16	476697	881256	1357953	687740	670213
				स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का योग	**₹741529**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	शीर्षक/अनुदान	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1	सभा निधि	के0सी0सी0 राजा का तालाब	20030006778	725445
2	मनरेगा	–यथोपरि–	20030007284	शून्य
3	VHSC	–यथोपरि–	20039073442	16084
		योग		**₹741529**

अन्तशेष का विवरणः–

(क) दिनांक 31.3.16 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹741529

(ख) दिनांक 31.3.16 को बैंक में कुल जमा राशि ₹741529

5 पंचायत राजस्व ₹0.05 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹5520 वसूली हेतु शेष था।

1 गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	18500	9250	27750	27750	–
2014–15	–	8375	8375	–	8375
2015–16	8375	8375	16750	11230	5520
2 भू राजस्व					
2013–14	–	800	800	800	–
2014–15	–	800	800	800	–
2015–16	–	800	800	800	–

6 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्वः स्त्रोत, जैसे कि गृहकर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार

करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्प्ष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 नियमानुसार बैंक खातों का न खोला जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें खाता "क" में पंचायत के स्वः संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाये जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर एक ही बैंक बचत खाता खोला गया है। अतः नियमानुसार बैंक खातों का न खोले जाने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 सभा निधि से ₹5100 के अधिक भुगतान बारेः–

ग्राम पंचायत के अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा माह जनवरी 2015 में विभिन्न कार्यों के लिए मस्ट्रोल जारी किए गए जिनके भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) वाउचर संख्या 34 दिनांक 11.2.15 ₹5440(मस्ट्रोल संख्या 0011630 अवधि 1.1.15 से 15.1.15)

(2) वाउचर संख्या 36 दिनांक 11.2.15 ₹9690(मस्ट्रोल संख्या 001163 अवधि 10.1.15 से 19.1.15)

(3)वाउचर संख्या 39 दिनांक 11.2.15 ₹8840(मस्ट्रोल संख्या 0011633 अवधि 16.1.15 से 28.1.15)

उक्त तीनों मस्ट्रोल में श्री जसवन्त सिंह, संजीव कुमार व पूर्ण चन्द के नाम की उपस्थिति दर्शाई गई है जोकि संदिग्ध प्रतीत होती है तथा ₹5100 का भुगतान अनियमित है। अतः मजदूरों के नाम से सम्बन्धित अभिलेख पंचायत अभिलेख से सत्यापित करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	**मजदूर का नाम**	**दिन बनते है**	**दिनों की मजदूरी प्रदान की**	**अधिक दिन**	**दर**	**कुल अधिक भुगतान**
1	श्री जसवन्त सिंह	21	31	10	170	1700
2	श्री संजीव कुमार	21	31	10	170	1700
3	श्री पूर्ण चन्द	21	31	10	170	1700
					योग	**₹5100**

11 अनुदान ₹6.70 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹670213 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न

विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.10 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹109540 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹5.50 लाख के कार्य निष्पादन बारे:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निम्न मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹550000 का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः नियमों के विरूद्ध निर्माण कार्यों का निष्पादन बिना सहभागी समिति के गठन के कारण स्पष्ट करते हुए भविष्य में प्रत्येक कार्य का निष्पादन नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

14 क्रय की गई ₹1.10 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्टॉक/स्टोर अभिलेख में

इन्द्राज किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹109810 की निर्माण सामग्री **(परिशिष्ट–4)** को क्रय करने उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

16 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** लघु आपत्तियों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

18 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार एवं कड़ें निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता /—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 93/2017—खण्ड—1 —3315—3318 दिनाँक 15.06.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत भोल खास, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

(परिशिष्ट–2)

(पैरा–12 के सन्दर्भ में)

ग्राम पंचायत भोल खास, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ₹1.10 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक	निधि	विवरण	राशि
1	11/29.9.14	सभा निधि	मै0 भूगलियाल ब्रिक प्रोडक्शन द्वारा ईटों की आपूर्ति का भुगतान	12000
2	12/29.9.14	सभा निधि	–यथोपरि–	21000
3	13/30.9.14	सभा निधि	मैसर्ज शिव फर्नीचर हाउस द्वारा दरवाजे व चौखट की आपूर्ति का भुगतान	5000
4	32/11.2.15	सभा निधि	श्री अजय कुमार द्वारा रेत बजारी पत्थर आदि की आपूर्ति का भुगतान	7440
5	37/11.2.15	सभा निधि	–यथोपरि–	11760
6	40/11.2.15	सभा निधि	श्री अजय कुमार द्वारा रेत, बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	9240
7	12/16.9.13	सभा निधि	–यथोपरि–	9650
8	15/16.9.13	सभा निधि	श्री अजय कुमार द्वारा मिटटी की ढुलाई व पत्थर की ढुलाई का भुगतान	19750
9	27/13.12.13	सभा निधि	श्री अजय कुमार द्वारा रेज, बजरी आदि की सप्लाई का भुगतान	6700
10	31/13.12.13	सभा निधि	–यथोपरि–	7000
			योग	**₹109540**

(परिशिष्ट–3)

(पैरा–13 के सन्दर्भ में)

ग्राम पंचायत भोल खास, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा सहभागी समिति गठित किए बिना ₹5.50 लाख के कार्य निष्पादन बारेः–

क्रमांक	निधि	कार्य का विवरण	राशि
1	सभा निधि	निर्माण शमशान घाट भोल खास	100000
2	मनरेगा	निर्माण डंगा भूल खडड	100000
3	मनरेगा	(i) क्रेट वर्क भूल खडड	150000
4	मनरेगा	(ii) क्रेट वर्क भूल खडड	100000
5	मनरेगा	निर्माण कूहल वकशीश के घर तक	100000
		कुल	**₹550000**

(परिशिष्ट–4)

(पैरा–14 के सन्दर्भ में)

ग्राम पंचायत भोल खास, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा क्रय की गई निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तक में इन्द्राज न करनाः–

क्रमांक	वा0स0 / दिनांक	निधि	हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम से खरीद किए गए सीमेन्ट का ब्यौरा	राशि
1	30 / 9.1.15	सभा निधि	बिल नं0 3341 दिनांक 9.1.15 97X261	25317
2	21 / 7.11.13	सभा निधि	बिल नं0 2316 दिनांक 6.9.13 60X234	14040
3	4 / 16.6.15	सभा निधि	बिल नं0 3727 दिनांक 16.6.15 123X261	32103
4	18 / 19.8.15	सभा निधि	बिल नं0 3939 दिनांक 19.8.15 55X295	16225
5	20 / 10.10.15	सभा निधि	Pad 0050918 / 10.10.15 75X295	22125
			योग	**₹109810**